e-office No. 565996/19/HS

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2019-हिं.अ. दिनांक: 29.04.2019

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.03.2019 को हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.03.2019 को सायं 04.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेमसिंह 29.4.19

(प्रेम सिंह तोमर)

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव

वितरण:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
3. विभागाध्यक्ष, विकिरण निदान विभाग।
4. उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)।
5. अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग।
6. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग।
7. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी-हृद् तंत्रिका केंद्र/राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद/संपदा अनुभाग/अनुसंधान अनुभाग।
8. लेखा अधिकारी-पेंशन प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, ए-149, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23.
- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

01/05/19 Mr Pawan Kr. n.a.Bl.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.03.2019 को आयोजित हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 22.03.2019 को सायं 04.00 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस. दत्ता गुप्ता, आचार्य एवं संकायाध्यक्ष (परीक्षा)	सदस्य
3.	श्री शुभाशीष पण्डा, उप-निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार	सदस्य
5.	श्री धीरेन्द्र वर्मा, उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
6.	आचार्य एवं प्रमुख, डॉ. रा.प्र. केन्द्र के प्रतिनिधि: श्री नरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	सदस्य
7.	डॉ. जी.के.रथ, आचार्य एवं प्रमुख, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ. तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर	सदस्य
8.	डॉ. आर.के. चड्डा, आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद	सदस्य
9.	आचार्य एवं अध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के प्रतिनिधि: डॉ. अनिल गोस्वामी, सह-आचार्य	सदस्य
10.	डॉ. आर.एम. पाण्डेय, आचार्य एवं अध्यक्ष, जैव-सांख्यिकी विभाग	सदस्य
11.	श्री नरेन्द्र भाटिया, वित्त सलाहकार	सदस्य

12.	अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि: श्री विनोद कुमार शर्मा, कार्यकारी अभियंता (वाता.)	सदस्य
13.	श्री एस.एन. रघुकुमार, उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)	सदस्य
14.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रतिनिधि: श्री महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
15.	डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र.केन्द्र	सदस्य
16.	आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र के प्रतिनिधि: श्री नरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	सदस्य
17.	श्री सतीश कुमार सिंह, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
18.	श्री जी.आर. पिल्लई, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अस्पताल एवं सामान्य अनुभाग	सदस्य
19.	श्री डी.के. गुप्ता, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू. एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, वित्त प्रभाग	सदस्य
20.	प्रशासन अधिकारी, भर्ती अनुभाग की प्रतिनिधि: श्रीमती सरोज पंत, सहायक प्रशासन अधिकारी	सदस्य
21.	श्री कुशाल कुमार, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, शैक्षिक अनुभाग	सदस्य
22.	सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि: श्री मोहनन पी.एस., सहायक प्रशासन अधिकारी	सदस्य
23.	श्री इलियास पी.आई., प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग	सदस्य
24.	श्रीमती रेणु भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र तथा राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद	सदस्य
25.	डॉ. वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11	सदस्य

26.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
27.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
28.	विभागाध्यक्ष, विकिरण निदान विभाग के प्रतिनिधि: श्री ललित गुप्ता, तकनीकी अधिकारी	विशेष आमंत्रित
29.	श्री सत्येन्द्र कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी	विशेष आमंत्रित

डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 **<u>संस्थान में हिंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नति संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि वर्तमान में भर्ती अनुभाग द्वारा हिंदी अधिकारी के तीन रिक्त पदों में से 02 पद पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हैं और हिंदी अधिकारी का एक पद तकनीकी कारणवश रिक्त है। समिति द्वारा इस विषय में संतोष व्यक्त किया गया।

मद सं. 3 **<u>संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि संस्थान तथा इसके सभी केंद्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) द्वारा सूचित किया गया कि संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के 03 रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने हेतु परीक्षा अनुभाग द्वारा स्टेज-I की परीक्षा दिनांक 31.01.2019 को आयोजित की जा चुकी है और स्टेज-II की लिखित परीक्षा दिनांक 25.03.2019 को परीक्षा अनुभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। आशा है कि अप्रैल-मई, 2019 तक इन पदों को भर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद, के प्रमुख प्रो. आर.के. चड्डा तथा एन.सी.आई. झज्जर के अध्यक्ष प्रो.जी.के. रथ ने अन्य केन्द्रों की भांति उनके केन्द्रों में भी हिंदी अनुवादकों की तैनाती की अपील की। इस विषय में विचार-विमर्श के दौरान उप-निदेशक (प्रशासन) महोदय ने स्पष्ट किया कि सभी केन्द्र/विभाग/अनुभाग संस्थान का ही हिस्सा हैं तथा संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों/विभागों/अनुभागों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु हिंदी स्टाफ को केन्द्रों/विभागों/अनुभागों में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के राजभाषा नीति संबंधी कामकाज के लिए हिंदी स्टाफ को मुख्य संस्थान का मूल स्टाफ रहते हुए संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों/विभागों/अनुभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

उपर्युक्त के संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर लिया जाए तथा हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान तथा इसके सम्बद्ध केन्द्रों/विभागों/अनुभागों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कामकाज का दायित्व हिंदी स्टाफ को सौंपने संबंधी उचित कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई -हिंदी अनुभाग

मद सं. 4 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 61 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट भेजने वाले सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - संपदा अनुभाग/अनुसंधान अनुभाग/हृद् तंत्रिका केन्द्र/राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र/सुरक्षा विभाग/इंजीनियरी सेवा विभाग/पेंशन प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/ तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 5 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण

हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान के 13 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार आगामी हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्रों में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 विकिरण निदान विज्ञान विभाग में एक्स-रे आदि के लिफाफे केवल अंग्रेजी में ही छपे होने संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान के विकिरण निदान विभाग में एक्स-रे आदि के लिए प्रयोग में लाये जा रहे लिफाफे आदि पर विभाग संबंधी सूचना अभी भी केवल अंग्रेजी में ही छपवाई जा रही हैं जबकि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नियमानुसार ऐसी सूचनाएं केवल द्विभाषी रूप में ही छपवाई जाएं। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर विकिरण निदान विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अपेक्षित सूचनाएं द्विभाषी बनवा ली गई हैं और शीघ्र ही जैम प्रक्रिया के द्वारा छपने वाली सभी सामग्री द्विभाषी रूप में करवा ली जाएगी।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एक्स-रे आदि हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले सभी लिफाफे एवं अन्य सामग्री केवल द्विभाषी रूप में ही छपवाई जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - विभागाध्यक्ष, विकिरण निदान विभाग

मद सं. 7 संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्ड में रोगी विवरण द्विभाषी होने संबंधी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में रोगियों के ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी विवरण केवल अंग्रेजी में ही छापा जा रहा है जबकि राजभाषा विभाग के नियमानुसार उक्त सूचना द्विभाषी रूप में छपी होनी चाहिए। इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) ने बताया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा मुख्य एम्स/सी.एन.सी./सी.डी.ई.आर. केंद्रों में रोगियों के कार्डों में रोगी विवरण द्विभाषी कर दिया गया है। आई.आर.सी.एच. में हिंदी टाइप करने की व्यवस्था प्रदान कर दी गई है और कैंसर अस्पताल में हिंदी भाषा का प्रिंट भी प्रदान कर दिया गया है।

इस विषय में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान तथा इसके सभी केन्द्रों में बनाए जाने वाले ओ.पी.डी. कार्डों में रोगी संबंधी सूचना द्विभाषी रूप में छापी जाए और ऐसा करते समय

हिंदी ऊपर अंग्रेजी नीचे अथवा **हिंदी पहले अंग्रेजी बाद में** रखी जाए तथा यह कार्य अगली बैठक से पहले पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 8 संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा ने समिति को सूचित किया कि संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में है और जो भी सामग्री अपलोड होने हेतु कंप्यूटर सुविधा में आती है, उसे अनिवार्य रूप से केवल द्विभाषी रूप में ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समिति द्वारा इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई- उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।